न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2021

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चक 8 एसडीआर गांधीबडी त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10-1-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रं.ही चक 8 एसडीआर के खाता सं0 28/29 के मु0 न0 1 किला न0 24, 25, मु0 न0 2 किला न0 18, 19, 21, 22, 23, 24, मु0 न0 4 किला न0 1 ता 5, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 5 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 10 किला न0 3 ता 7, मु0 न0 11 किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 कुल 12.346है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी जगदीश के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में जगदीश के पिता के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थी का पिता चन्दगीराम हरियाणा का निवासी था। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थी काश्त करता है व काफी वर्षो से यही चक 8 एसडीआर में ढाणी बनाकर रिहायश करता हूं। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि को माननीय न्यायालय से धारा 88 के तहत हिस्से की घोषणा करवाते समय प्रार्थी का निवास स्थान चाहर वाला हरियाणा रह गया जबकि उस समय प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) हाल निवासी चक 8 एसडीआर गांधीबडी दर्ज होना था। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देने की वजह से प्रार्थी का खाता में निवास स्थान का पता सही दर्ज नहीं हो पाया। इस प्रकार प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में जगदीश पुत्र चन्दगीराम द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, जनाधार, बिजली बिल, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गांधीबडी, पैन कार्ड प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) हाल निवासी चक 8 एसडीआर गांधीबडी है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजात व रिपोर्ट के जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) हाल चक 8 एसडीआर गांधीबडी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही चक 8 एसडीआर के खाता सं0 28/29 के मु0 न0 1 किला न0 24, 25, मु0 न0 2 किला न0 18, 19, 21, 22, 23, 24, मु0 न0 4 किला न0 1 ता 5, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 5 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 10 किला न0 3 ता 7, मु0 न0 11 किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 कुल 12.346है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी जगदीश के नाम 1/4 हिस्सा। राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों व तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चक 8 एसडीआर गांधीबडी है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही चक 8 एसडीआर के खाता सं0 28/29 के मु0 न0 1 किला न0 24, 25, मु0 न0 2 किला न0 18, 19, 21, 22, 23, 24, मु0 न0 4 किला न0 1 ता 5, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 5 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 10 किला न0 3 ता 7, मु0 न0 11 किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 कुल 12.346है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी जगदीश के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) की जगह जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) हाल निवासी चक 8 एसडीआर गांधीबडी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का पता जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चाहरवाला (हरियाणा) ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 10.1.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़